राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे–III/ 6136–655 दिनांकः– 11/9/14

आदेश संख्या – 77/2014–15

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2(9300–34800) ग्रेड पे 4800/– में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
01-	जतीश कुमार दुबे	R87/92	17.06.1995	17.06.2014	प्रथम चवे एक वर्ष देरी से स्वीकृत
02-	सुरेश चन्द्र शर्मा	35/94	19.02.1996	19.02.2014	
03-	चतर सिंह राजपुरोहित	143/94	30.03.1996	30.03.2014	
04-	अमिनुद्दीन गौरी	154/94	19.02.1996	19.02.2014	
05-	मंगल सिंह	412/94	20.02.1996	20.02.2014	
06-	श्याम सुन्दर	468/94	26.02.1996	26.02.2014	
07-	विरेन्द्र सिंह तंवर	DGS	21.05.1996	21.05.2014	

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 01, 04, 05 एवं 06 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षो में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं, एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय /फौजदारी जाचं लम्बित नहीं हैं एवं गत वर्षो में नियमित रूप से वेतन वृद्वियॉ स्वीकृत की गई हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)/द्वितीय एसीपी 94/अलेसे–III/ 6136–655 दिनांक 11/9/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष...
2. श्री...कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.......................................
3. कार्यालय अधीक्षक (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खाले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
4. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल ।

(डा0 अरविन्द कुमार मिश्रा)
...निदेशक(कार्मिक–II)